मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-18

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2004 (श्रावण 8, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी द्वारा प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही माननीय मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर मांफी मांगने की बात कही गई)

(व्यवधान होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका)

(व्यवधान होने से विधान सभा की कार्यवाही 10.34 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होकर 11.33 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

(व्यवधान होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती से माफी मांगने की बात करते हुए नारेबाजी करते रहे)

1. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य की म.प्र.कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित सहायक शिक्षको को नियुक्ति से वंचित रखने,

श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की जिला भिण्ड के अनेक ग्रामों में शुद्ध पेयजल का अभाव होने,

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के तुलसी नगर के शासकीय आवासों की सीवेज लाइन जर्जर अवस्था में होने,

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग कटनी-शहडोल का कार्य प्रारंभ न किये जाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के अनेक शिक्षा कर्मियों को विगत सात माह से वेतन का भुगतान न किये जाने,

(6) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की जिला सतना के कलेक्टर द्वारा आदेश के उपरांत भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य संपादित न करने,

(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम दतेहरा में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने,

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा के ग्राम भाड़पिपरिया में नल-जल योजना का कार्य बंद होने,

(9) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य की खातेगांव विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य मंद गति से होने,

(10) सुश्री कुसुम महदेले, सदस्य की पन्ना जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से अनेक मौतें होना.

(11) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य की रैगांव विधान सभा क्षेत्र की परिहर बांध योजना को बीच में बंद कर दिये जाने,

(12) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य की इंदौर जिले की तहसील महू में वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से आदिवासियों की फसलें नष्ट की जाने,

(13) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की सेठ गोविंदराम शुगर मिल, महिदपुर के कीमती सामान को बेचे जाने,

(14) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल में उत्कृष्ट विद्यालय के पालकों द्वारा माध्यमिक शाला को पूर्ववत मूल भवन में लगाये जाने,

(15) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य की रीवा शहर के अंदर सड़क पर बालू से भरे ट्रकों के खड़े रहने से आवागमन अवरूद्ध होने,

(16) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य की भोपाल जिले की हुजूर तहसील की ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली के ग्राम नयापुरा में भूमि पर अतिक्रमण करने,

(17) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की भोपाल के वार्ड 56 कस्तूरबा नगर "सी" सेक्टर में मेहता इंडस्ट्रीज द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने,

(18) श्री रामदास उइके, सदस्य की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में सीटों के आरक्षित करने,

(19) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के खरगापुर क्षेत्र के पलेरा तहसील के ग्रामों में बिजली गिरने से मृत व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने,

(20) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के कुसमी विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम लुरघुटी के आदिवासी छात्रावास की साफ-सफाई का ध्यान रखने एवं शिक्षाकर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा न मिलने,

(21) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की जिला इंदौर तहसील सांवेर में श्री गणेश राज पेपर मिल की मशीनों को बेचे जाने,

(22) श्री आरिफ अकील,सदस्य की शासन द्वारा इमामों और मुआज्जिनों की तनख्वाह न बढ़ाई जाने,

(23) श्री सुभाष यादव,सदस्य की जिला इन्दौर के शासकीय उद्यानों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित न किये जाने,

(24) श्री छोटेलाल सरावगी, सदस्य की शहडोल जिले के सोहागपुर क्षेत्र के गरीब आदिवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने, तथा

(25) श्री बाबूलाल महाजन, सदस्य की
संबंधी शून्य काल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती से माफी मांगने की बात कहते हुए गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे तथा अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये)

2. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 58 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम छः ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी की वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने पांढुर्णा के शंकर नगर में डकैतों द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन में मुख्यमंत्री की उपस्थिति पर उनके द्वारा की गई श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर मांफी मांगने की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गए तथा नारेबाजी करने लगे)

(2) श्रीमती संध्या राय, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम बरेथा में अग्निपीड़ितों को आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर उनके द्वारा सदन में माफी न मांगी जाने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया)

(3) श्री गिरीश गौतम, श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने रीवा शहर में अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा सूखे के संबंध में शासन की ओर से बैठक बुलाये जाने की मांग न मानने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी जिले के ग्राम छपरा स्थित गीतांजलि मार्बल खदान धंसने से पांच श्रमिकों की हुई मौत होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन, राज्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(5) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने सतना शहर के पुष्पराज कालोनी में डकैती की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

सदन में पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(7) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पटना में कालरा का प्रकोप होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(8) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की इंदौर स्थित एम.जी.एम. पैरामेडिकल कालेज के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फीस छूट का स्पष्ट आदेश न मिलने संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(9) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के ग्राम बढ़ौरा में एक लड़की के साथ हुए बलात्कार के अपराधी को गिरफ्तार न किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का का वक्तव्य।

(10) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य की देवास जिले के ग्राम रिछी में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(11) सर्वश्री रामलखन शर्मा, हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सुभाष यादव, सदस्य की इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा वितरण में अनियमितता होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा नर्मदा घाटी विकास मंत्री का वक्तव्य।

(12) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य की रीवा जिले में पल्स पोलियो अभियान में घटिया वैक्सीन दिये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य की मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश के मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(14) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, सदस्य की भोपाल के थाना रातीबड़ के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिला जेल से चार कैदी फरार होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जेल मंत्री का वक्तव्य।

(16) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सर्वश्री जगन्नाथ सिंह, रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा एवं सतना जिले में स्थापित सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण का वक्तव्य।

(17) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले की बरगुलिया सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावितों के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में फाइलेरिया नामक रोग के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के टमस बराज में अवैध रूप से मछली मारने संबंधी सूचना तथा मछलीपालन मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री रामलखन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य की भिण्ड एवं मुरैना जिले में हैजा एवं आंत्रशोथ की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय सिंह "राहुल भैया", श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के अरेरा कालोनी क्षेत्र से एक परिवार का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री आरिफ अकील, सदस्य की रायसेन जिले के सीहोरा निवासी एक बालक की विद्युत कर्मियों की लापरवाही से दोनों हाथ कट जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के भारौलीकला में रेत की अवैध नीलामी होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(24) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की प्रदेश में समर्थन मूल्य से कम दर पर चने की खरीदी होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री सुभाष यादव, सदस्य की तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा फार्मेसी कालेज खोले जाने की अनुमति न दिये जाने संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(26) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की देवास स्थित हिंद सिंटेक्स लिमिटेड को अवैध रूप से बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(27) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के माधोपुरा निवासी व्यक्ति की हत्या के अपराधी न पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(28) सर्वश्री अजय सिंह "राहुल भैया", सुभाष यादव, नारायण त्रिपाठी, सदस्य की प्रदेश के अनेक तकनीकी महाविद्यालयों को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की ग्वालियर में पुलिस चौकी पर अपराधियों द्वारा हमला किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(30) डॉ. सुनीलम्, श्री रामनिवास रावत, सदस्य की भोपाल के जे.पी. अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से एक महिला की हुई मौत संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया में एक महिला की लाश पाई जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(32) श्री प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य की इंदौर पुलिस द्वारा फर्जी रजिस्ट्री गिरोह पकड़े जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(33) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की शहडोल जिले के अमलाई स्थित जूट मिल से क्लोरीन गैस का रिसाव होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की नेत्रहीन महाविद्यालयों के कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिलने संबंधी सूचना तथा समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य की दमोह जिले के ग्राम बारह की एक बालिका के साथ बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(36) श्री आरिफ अकील, सदस्य की दमोह हटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समय पर इलाज न होने से एक महिला की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री सत्यदेव कटारे, श्री राजेश पटेल, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की दमोह जिले के रेतवारी ग्राम के एक युवक के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(38) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की बैतूल जिले के भैसदेही क्षेत्र में घटिया सोयाबीन का बीज प्रदाय किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री अन्तर सिंह दरबार, सदस्य की पिछड़ा वर्ग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के प्राचार्य द्वारा छात्रावास में निवासरत् छात्रों से पानी बिजली के नाम पर वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(40) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की डबरा स्थित शुगर मिल के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि उनके खातों में जमा न कराई जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(41) सर्वश्री राजेश पटेल, सुखदेव पांसे, गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थित ल्यूपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड में ड्रायर फटने से एक श्रमिक की मौत होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(42) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा क्षेत्र की गुटका फैक्ट्रियों में बाल श्रमिकों का शोषण होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर के थाना महाराजपुर के सेयलाहार से दो व्यक्तियों का अपहरण होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम गोहटा निवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(45) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पंचायत फूलहरचंद सिंह में मध्याह्न भोजन हेतु चावल वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(46) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के गैस प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध न कराये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(47) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम गौरिहार में एक दंपत्ति की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(48) श्री हरवंश सिंह, सदस्य की इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में वन सम्पत्तियों के नष्ट होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(49) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के टी.टी. नगर स्थित माडल प्रायमरी स्कूल के अनेक छात्र पूरक परीक्षा देने से वंचित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(50) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की दतिया खनिज अधिकारी द्वारा रेत खदान आवंटन में अनियमितताएं किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(51) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की सीधी जिले के जियावन थाना अंतर्गत ग्राम गोड़गवा निवासी एक युवक के साथ मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(52) श्री शांतिलाल धबाई, सदस्य की भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग द्वारा स्मार्ट कार्ड बनाये जाने में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास मंत्री का वक्तव्य।

(53) सर्वश्री नारायण त्रिपाठी, बृजेन्द्र तिवारी, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर जिले की डबरा शुगर मिल द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(54) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम लोही में बाणसागर परियोजना की नहर धसकने से एक श्रमिक की दबकर मौत होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(55) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के ग्राम सिसवारा में उल्टी दस्त से एक महिला की मौत होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(56) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के ग्राम हरदी में एक आदिवासी छात्रा के साथ बलात्कार होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(57) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले की चौरई तहसील में अवर्षा के कारण फसल नष्ट होने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

(58) श्री बृजमोहन दास धूत, सदस्य की इन्दौर के नौलखा एवं हरदा बस स्टैण्ड पर एजेन्टों द्वारा यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के परासिया नगर में सिविल न्यायालय प्रारम्भ कराये जाने,

(2) श्री शांतिलाल धबाई, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) शासकीय महाविद्यालय बड़नगर में स्नातकोत्तर एवं विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ कराये जाने तथा लेब एवं लायब्रेरी की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,

(ख) ग्राम नरसिंगा एवं दौलतपुर के मध्य चम्बल नदी पर स्टाप-डेम-कम पुलिया बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम लाम्बा, खेड़ावदा, चरोला व पल्टूना स्थित माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन कराये जाने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के वार्ड क्र.8, 11 एवं 15 में गैस राहत विभाग द्वारा निर्मित टंकियों से पेयजल सप्लाई कराये जाने,

(4) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की उज्जैन जिले के ग्राम इंदोख व बड़ोद के मध्य नदी पर पुल बनाये जाने,

(5) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में सीता रेखा नदी पर बने पुल के दोनों तरफ एप्रोच रोड पर पीचिंग कराये जाने,

(6) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम झिंगोदर की अनुसूचित जाति बस्ती के पास मुड़गुड़ा नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने,

(ख) ग्राम धौरहरा से रौड़ तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम पंचायत दतुनहा स्थित प्राथमिक शाला के भवन की मरम्मत कराये जाने,

(घ) ग्राम अमकुई से जसो तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,

(ङ) ग्राम पंचायत दतुनहा के पहुंच मार्ग को डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनाये जाने,

(च) ग्राम उमरिहा एवं रामपुर के मध्य मुड़गुड़ा नाले पर स्टापडेम-कम-काजवे बनाये जाने,

(छ) ग्राम पंचायत नैना से मनकहरी रोड तक आने एवं सगमा गांव तक जाने हेतु पहुंच मार्ग बनाये जाने, तथा

(ज) ग्राम रैगांव में पुलिस थाना खोले जाने,

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम बड़ोरा-छहरी माईनर नहर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(8) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम हिनौती के बरगाही टोला में विद्युत तारों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम हिनौती स्थित हाई स्कूल का भवन बनाये जाने, तथा

(9) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की अनूपपुर जिले के ग्राम भोलगढ़ के लिये पक्की सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

4. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"पर्यावरण की भयावह स्थिति से वन में रहने वाले पशु व पक्षियों की नस्लें समाप्त हो रही हैं, अतएव सदन का यह मत है कि शासन वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण हेतु कारगर कदम उठावे एवं पंचायत तथा नगरीय निकायों को वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहन दे". तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

डॉ. ढालसिंह बिसेन, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय निकायों को शासन द्वारा दी जाने वाली समस्त क्षतिपूर्ति/अनुदान राशियां जो संचालनालय को दी जाती हैं वह राशि समस्त नगरीय निकायों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जावे". तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(सर्वश्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, रसाल सिंह, सदस्य, की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनका अशासकीय संकल्प प्रस्तुत नही हो सका)

5. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 28 जून, 2004 को वन मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 904) के उत्तर से उद्‌भूत विषय ग्वालियर सौनचिरैया परश्री बजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने चर्चा उठाई।

डॉ. ढालसिंह बिसेन, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) दिनांक 16 जुलाई, 2004 को गृह मंत्री से पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 1576) के उत्तर से उद्‌भूत विषय थाना गुढ़ जिला रीवा में नियम विरूद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरणों में खात्मा लगाये जाने पर श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने चर्चा उठाई।

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किये गये :-

मध्यप्रदेश की बारहवीं विधान सभा का यह तीसरा और पहला मानसून सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है। सैंतीस दिवसीय इस सत्र में 18 बैठकें हुई। सर्वसम्मति से सदन की नौ बैठकें नहीं हुई किंतु आगे की बैठकों में भोजनावकाश स्थगित कर और शाम 6.30 बजे तक बैठकें कर इसकी भरपाई की गई।

इस सत्र में वित्तीय और विधायी कार्यों के साथ-साथ अनेक लोक महत्व के कार्य सम्पन्न हुए वहीं सत्र के पूर्व तीन दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सत्र के मध्य एक दिवसीय बजटीय प्रक्रिया पर प्रबोधन तथा राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन सम्पन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक को अपनी स्वीकृति दी वहीं 08 शासकीय विधेयक पारित किए गए। सदन में एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हुई और एक स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराई गई। इस सत्र में कुल 5160 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें तारांकित 3366 एवं अतारांकित 1974 प्रश्न थे। कुल 900 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई और 89 अशासकीय संकल्पों पर सदन में चर्चा की गई। सदन में कुल 121 याचिकाएं प्रस्तुत हुई। विशेषाधिकार भंग की 08 सूचनाएं प्राप्त हुई।

लोकतंत्र विचार-विमर्श, सामंजस्य और सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर पहुंचने की पद्धति है और हमारी संसदीय शासन व्यस्था भी इन्हीं आदर्शों पर आधारित है। इसमें पक्ष-विपक्ष द्वारा एक दूसरे का सम्मान और सहमति-असहमति का आदर किया जाना भी समाहित है। सदनों की कार्यवाही निर्धारित नियम-प्रक्रियाओं से संचालित होती हैं और ये नियम-प्रक्रियाएं तभी तक कायम रह सकती हैं, जब सदस्यों में इनका पालन करने, इन्हें स्वीकारने तथा इन्हें दृढ़ता प्रदान करने की भावना हो। पक्ष-विपक्ष की दलीय प्रतिबद्धताएं और आग्रह भिन्न हो सकते हैं लेकिन इससे ऊपर होता है लोकहित जिसके लिए यह सारी प्रणाली संचालित है। सभी दलों के सदस्य इस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन करके भविष्य में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं सदन की नेता, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के सदस्यों एवं सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं विधान सभा सचिवालय एवं शासन के अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों के सहयोग का भी उल्लेख करता हूं।

इस अवसर पर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया।

अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। मैं अपनी और सदन की ओर से आप सभी को और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस, नागपंचमी एवं रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के जन-जन की तथा आप सबकी खुशहाली की कामना करता हूं।

सुश्री उमा भारती मुख्यमंत्री, कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

6. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्र गान "जन गण मन" का समूह गान हुआ

7. सत्र का अनिश्चित काल के लिए स्थगन

1.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.